अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय -V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, वैधानिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियों (जीसीओसी) के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप (या पूर्व के वर्षों के जिन्हें अन्तिम रूप चालू वर्ष में दिया गया था) जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[32] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा किये जाने की प्रकिया पर निर्देश देते है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को कम्पनी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा मात्र सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

5.3 एसपीएसई और राज्य के जीएसडीपी में उनका योगदान

एसपीएसई में राज्य सरकार की कम्पनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। जनसामन्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, एसपीएसई की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए की गई है। 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश में 113 एसपीएसई थे, जिनमें छ: वैधानिक

[32] कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

निगमों, 86 सरकारी कम्पनियां (41 निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों[33] सहित) तथा 21 सरकारी नियन्त्रित अन्य कम्पनियां[34] (जीसीओसी) सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थीं। इन एसपीएसई की सूची ***परिशिष्ट 5.1*** में दी गई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और उनके लेखों की स्थिति नीचे **तालिका 5.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.1: उत्तर प्रदेश में एसपीएसई की प्रकृति

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके लेखें 30 सितम्बर 2023 तक दिये गए		
		एसपीएसई द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए दिये गए लेखों की संख्या	एसपीएसई द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए दिये गए लेखों की संख्या	एसपीएसई द्वारा वर्ष 2020–21 एवं पूर्व वर्षो[35] के लिए दिये गए लेखों की संख्या
कार्यरत सरकारी कंपनियाँ[36]	66	10	15	41
सांविधिक निगम	6	0	2	4
कार्यरत एसपीएसई का योग	**72**	**10**	**17**	**45**
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	41	0	1	40
योग	**113**	**10**	**18**	**85**

स्रोतः एसपीएसईज द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार

निष्क्रिय एसपीएसई

राज्य में 41 निष्क्रिय एसपीएसई (परिसमापन के तहत 13 सहित) हैं। नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं इन कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इन निष्क्रिय एसपीएसई[37] में ₹ 1,107.52 करोड़ का निवेश, पूँजी ₹ 832.08 करोड़ (राज्य सरकारः ₹ 291.67 करोड़ और अन्यः ₹ 540.41 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 275.44 करोड़ (राज्य सरकारः ₹ 223.35 करोड़ और अन्यः ₹ 52.09 करोड़) हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देते है।

कार्यरत एसपीएसई

एसपीएसई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 72 कार्यरत एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत एसपीएसई का टर्नओवर और जीएसडीपी **तालिका 5.2** में दिया गया।

---

[33] निष्क्रिय एसपीएसई वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

[34] ***परिशिष्ट–5.1*** के क्रमांक 48 से 66, 101 एवं 113 पर।

[35] चार एसपीएसई ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये (लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड।

[36] सरकारी एसपीएसई में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

[37] परिसमापन के तहत 13 एसपीएसई को छोड़कर।

तालिका 5.2 : उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी की तुलना में एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	67,007.04	69,529.64	77,053.32
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	15,946.86	16,325.46	15,643.41
योग	**82,953.90**	**85,855.10**	**92,696.73**
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी	**16,45,317**	**19,74,532**	**22,57,575**
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में टर्नओवर का प्रतिशत			
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	4.07	3.52	3.41
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	0.97	0.83	0.69
योग	**5.04**	**4.35**	**4.10**

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों में टर्नओवर एवं मओएसपीआई, भारत सरकार के जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलन।

उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में एसपीएसई का योगदान 2020–21 में 5.04 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 4.10 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022–23 में जीएसडीपी में ऊर्जा सेक्टर एसपीएसई का योगदान 3.41 प्रतिशत था जबकि ऊर्जा क्षेत्र के इतर अन्य एसपीएसई का योगदान 0.69 प्रतिशत था।

जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई का योगदान हालाँकि न्यूनतम था (2020–21 में 0.97 से 2022–23 में 0.69 प्रतिशत तक)।

5.4 एसपीएसई में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 एसपीएसई में पूँजी स्वामित्व एवं ऋण

31 मार्च 2023 को 72 कार्यरत एसपीएसई में क्षेत्रवार कुल पूँजी, राज्य सरकार द्वारा पूँजी अंशदान एवं दीर्घकालिक ऋण, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित नीचे **तालिका 5.3** में दिए गए है।

तालिका 5.3: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

विवरण	निवेश (₹ करोड़ में)					कुल पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल पूँजी	राज्य सरकार पूँजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण	
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	256815.30	157818.01	71931.98	64.65	328747.28	88.55
ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई	25673.50	11451.23	16821.20	4949.91	42494.70	11.45
योग	**282488.80**	**169269.24**	**88753.18**	**5014.56**	**371241.98**	**100.00**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई सूचना

31 मार्च 2023 को, राज्य सरकार का इन एसपीएसई में ₹ 1,74,283.80 करोड़ (पूँजी ₹ 1,69,269.24 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण ₹ 5,014.56 करोड़) का निवेश था। एसपीएसई निवेश का रूझान मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई पर था, जिससे

31 मार्च 2023 को कुल निवेश ₹ 3,71,241.98 करोड़ का 88.55 प्रतिशत (₹ 3,28,747.28 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल निवेश 3,71,241.98 करोड़ में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 46.95 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, एसपीएसई द्वारा दी गई सूचना एवं उनके वर्ष 2022–23 के अन्तिम लेखों के अनुसार, वर्ष 2022–23 की अवधि में उ0प्र0 सरकार ने इन एसपीएसई को ₹ 6,676.49 करोड़ का अनुदान (20 एसपीएसई), ₹ 25,449.11 करोड़ का अनुदान (9 एसपीएसई) एवं ₹ 13.91 करोड़ का ऋण (2 एसपीएसई) प्रदान किया[38] गया।

5.4.2 एसपीएसई में पूँजी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण सूचीबद्ध कम्पनियों के अंशों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश के एसपीएसई के अंश भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज/नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022–23 के दौरान, एक निष्क्रिय एसपीएसई (साउथर्न–यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड) को कम्पनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया (मई 2022) एवं कम्पनी को भंग कर दिया गया। एसपीएसई के विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई अन्य मामला नहीं था।

5.5 एसपीएसई से आय

5.5.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

30 सितम्बर 2023 तक एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई की संख्या 2021–22 में 37 की तुलना में 2022–23 में 39 थी। अर्जित लाभ 2021–22 में ₹ 1,315.53 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,169.50 करोड़ हो गया।

शीर्ष छ: एसपीएसई जिन्होंने 2022–23 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान दिया, उन्हें **तालिका 5.4** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष छ: एसपीएसई जिन्होंने अधिकतम लाभ में योगदान दिया

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1. पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	991.67	45.71
2. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	275.88	12.72
3. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	235.66	10.86
4. उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2020-21	165.53	7.63
5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2021-22	144.68	6.67

[38] इसमें प्रस्तर 4.4.3 में वर्णित सहायता अनुदान के रूप में दर्ज ₹ 8,007.72 करोड़ शामिल हैं।

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
6. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	120.38	5.55
योग		**1933.80**	**89.14**

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

अकेले इन छ: एसपीएसई ने 2022–23 के दौरान 39 एसपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 2,169.50 करोड़) में 89.14 प्रतिशत का योगदान दिया था।

एसपीएसई का शुद्ध लाभ अनुपात[39] **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: एसपीएसई का शुद्ध लाभ अनुपात

क्षेत्र	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	**(-)30128.46**	**77053.32**	(-)39.10
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	**(-)131.94**	**15643.41**	(-)0.84
योग	**(-)30260.40**	**92696.73**	**(-)32.64**

5.5.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अक्टूबर 2002) जिसके तहत लाभ में चल रहे एसपीएसई को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई शेयर पूँजी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित है। लाभ कमाने वाले तीन एसपीएसई ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखें प्रस्तुत किए। लाभ कमाने वाले तीन एसपीएसई में से, दो एसपीएसई[40] को संचित घाटा हुआ और एक एसपीएसई[41] ने 2022–23 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की।

5.6 ऋण भुगतान

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज व्यय द्वारा ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कम्पनी के लाभ को विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से निम्न नीचे दिए गए ब्याज कवरेज अनुपात से पता चलता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, कार्यरत एसपीएसई,

[39] शुद्ध लाभ/टर्नओवर'*100।
[40] पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड।
[41] उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद।

जिन पर ब्याज का बोझ था, उनका ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एसपीएसई की संख्या	एक या उससे अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम वाली कम्पनियों की संख्या [42]
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	10277.64	21.55	10	4	5
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	275.16	-118.80	29	8	9
	योग	**10552.80**	**-97.25**	**39**	**12**	**14**
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	12647.24	6233.69	10	3	6
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	277.21	48.80	28	8	9
	योग	**12924.45**	**6282.49**	**38**	**11**	**15**
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	12167.05	-3265.83	10	5	4
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	212.44	-152.88	28	8	8
	योग	**12379.49**	**-3418.71**	**38**	**13**	**12**

स्रोतः एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण से, यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित पांच एसपीएसई, जिन पर ऋण की देनदारी थी, 2022–23 के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक या उसके बराबर था। हालाँकि, ऊर्जा के अलावा अन्य एसपीएसई के मामले में, जिन पर ऋण की देनदारी है, केवल आठ एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक या उसके बराबर था और आठ एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले ये एसपीएसई ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.7 एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 नियोजित पूँजी पर आय

नियोजित पूँजी पर आय (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[43] से विभाजित करके की जाती है। 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान आरओसीई का विवरण नीचे **तालिका 5.7** में दिया गया है।

[42] बकाया ऋण होने के बावजूद इस अवधि के दौरान ब्याज देयता शून्य होने के कारण शेष 13 कंपनियों के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई है ।

[43] नियोजित पूँजी = भुगतान की गई पूँजी + निःशुल्क आरक्षित निधि एवं अधिशेष दीर्घकालिक ऋण–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.7 : नियोजित पूँजी पर आय

वर्ष	विवरण	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	17400.25	**101343.76**	17.17
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	356.58	**29073.01**	1.23
	योग	**17756.83**	**130416.77**	**13.62**
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-2071.60	98088.99	-2.11
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	517.60	34904.86	1.48
	योग	**-1554.00**	132993.85	**-1.17**
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-17838.09	75433.18	-23.65
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	286.36	36425.97	0.79
	योग	**-17551.73**	**111859.15**	-15.69

स्रोत: कार्यरत एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के इतर दोनों के लिए 2020–21 के दौरान आरओसीई सकारात्मक था। हालाँकि, ईबीआईटी नकारात्मक होने के कारण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2020–21 की तुलना में 2021–22 एवं 2022–23 में आरओसीई कम एवं नकारात्मक हो गया।

5.7.2 एसपीएसई द्वारा पूँजी पर आय

पूँजी पर आय (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभ के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आरओई की गणना शुद्ध आय (यानी, करों के बाद शुद्ध लाभ) को अंशधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कम्पनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारकों के कोष दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

अंशधारकों के कोष की गणना चुकता पूँजी और मुक्त निधि में से संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है और यह पता चलता है कि यदि सभी संपत्तियाँ बेच दी गईं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया तो कम्पनी के अंशधारकों के लिए कितना बचा होगा। एक सकारात्मक अंशधारकों के कोष से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि नकारात्मक अंश पूँजी का मतलब है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं।

लाभ अर्जित करने वाले 39 कार्यरत एसपीएसई का पूँजी पर आय[44] (आरओई) 2022–23 में 6.64 प्रतिशत रहा। घाटे में चल रहे एसपीएसई सहित 72 कार्यरत एसपीएसई में समग्र आरओई 2022–23 में नकारात्मक था।

[44] पूँजी पर आय = (करों के बाद शुद्ध लाभ/अंशधारकों की पूँजी) X 100 जहाँ अंशधारकों की पूँजी = प्रदत्त पूँजी+ मुक्त निधि – शुद्ध संचित घाटे – स्थगित राजस्व व्यय।

कार्यरत एसपीएसई से सम्बन्धित अंशधारकों के कोष और आरओई का विवरण नीचे **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8 : एसपीएसई से सम्बन्धित पूँजी पर आय

वर्ष	विवरण	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	अंशधारक कोष (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	6985.41	74143.10	9.42
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	-118.01	15059.08	-
	योग	**6867.40**	**89202.18**	**7.70**
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-14842.16	79672.94	-
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	34.53	17884.13	0.19
	योग	**-14807.63**	**97557.07**	-
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-30128.46	66880.18	-
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	-131.94	19293.13	-
	योग	**-30260.40**	**86173.31**	-

स्रोतः एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

2021–22 और 2022–23 के दौरान, आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि सभी एसपीएसई की कुल आय नकारात्मक थी।

5.7.3 हानि वहन करने वाले एसपीएसई

5.7.3.1 वहन की गयी हानियाँ

30 सितम्बर 2023 को, नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 27 कार्यरत एसपीएसई, ने हानियाँ वहन की। इन कार्यरत एसपीएसई द्वारा वहन की गई हानियाँ इनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की हानियों के कारण 2020–21 में ₹ 11,366.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 32,429.90 करोड़ हो गयी जैसा कि विस्तृत रूप में **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9 :2020–21 से 2022–23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि में चल रहे एसपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[45]
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	9	-10569.28	-66215.88	77022.22
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	23	-797.27	-5062.70	5215.41
	योग	**32**	**-11366.55**	**-71278.58**	**82237.63**
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	9	-15354.12	-161218.71	-32812.35
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	20	-769.04	-4943.07	3193.76
	योग	**29**	**-16123.16**	**-166161.78**	**-29618.59**
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	7	-31632.60	-166029.29	-47581.10
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	20	-797.30	-6067.42	4353.49
	योग	**27**	**-32429.90**	**-172096.71**	**-43227.63**

स्रोतः एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

[45] निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। मुक्त संचय का आशय लाभों से निर्मित कुल संचय किन्तु संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यह्रास के प्रावधानों की वापसी को शामिल किये बिना हैं।

2022–23 में, राज्य सरकार के पूँजी निवेश ₹ 1,42,768.81 करोड़ वाले 27 एसपीएसई द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹ 32,429.90 करोड़ में से, ₹ 31,632.46 करोड़ (97.54 प्रतिशत) की हानि का योगदान मुख्यतः पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई[46] द्वारा किया गया था जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश ₹ 1,35,759.57 करोड़ है।

5.7.4 एसपीएसई में पूँजी का क्षरण

30 सितम्बर 2023 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 34 एसपीएसई की संचित हानियाँ ₹ 1,95,724.15 करोड़ थी। उनमें से, 24 एसपीएसइ ने ₹ 32,427.27 करोड़ की हानियाँ वहन की ***(परिशिष्ट 5.2)*** ।

34 एसपीएसई में से 15 एसपीएसई[47] के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। 31 मार्च 2023 को इन 15 एसपीएसई के पूँजी निवेश ₹ 1,46,516.94 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 77,811.31 करोड़ थी। 15 एसपीएसई में से, जिनकी पूँजी क्षरण[48] हो गई थी, चार एसपीएसई ने 2022–23 के दौरान लाभ अर्जित किया था। 15 में से 10 एसपीएसई पर 31 मार्च 2023 को ₹ 20,547.97 करोड़ का बकाया ऋण था, जैसा कि **तालिका 5.10** में बताया गया है।

तालिका 5.10: एसपीएसई का विवरण जिनकी निवल मूल्य, उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार, का क्षरण हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई के नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संचय	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की ऋण
1	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	23988.47	-5073.77	-30049.98	-6061.51	शून्य	शून्य
2	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2431.28	0.51	-4186.93	-1755.65	शून्य	शून्य
3	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	119625.63	-14572.24	-95139.33	-68546.27[49]	119625.63	शून्य
4	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2021-22	0.16	-0.12	-2.33	-2.17	शून्य	शून्य

[46] उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड: (–) ₹ 556.26 करोड़ (2021–22), उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड: (–) ₹ 14,572.24 करोड़ (2022-23), मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : (–) ₹ 4,892.19 करोड़ (2022-23), दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: (–) ₹ 5,073.77 करोड़ (2022-23) एवं पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : (–) ₹ 6,610.27 करोड़ (2022-23)।

[47] दो एसपीएसई की निवल मूल्य को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम के पास पूँजी नहीं है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में वर्ष 2022–23 के दौरान ₹8,825.47 करोड़ की पूँजी निवेश के कारण की 2022–23 निवल मूल्य सकारात्मक है।

[48] ये एसपीएसई सरकार से समर्थन मिलने तक अपनी आय के स्रोत के माध्यम से स्थापना व्यय के साथ–साथ अन्य देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

[49] उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के कारण निवल मूल्य की गणना के लिए ₹ 93,032.57 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

क्र. सं.	एसपीएसई के नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संचय	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की ऋण
5	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	0.05	-0.02	-0.25	-0.20	शून्य	शून्य
6	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	135.58	4.29	-376.75	-241.17	110.58	995.41
7	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	4.91	-10.90	-16.48	-11.57	शून्य	शून्य
8	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2009-10	1.10	-9.21	-26.59	-25.49	1.10	शून्य
9	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	7.24	-1.90	-24.65	-17.41	6.34	10.59
10	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	0.67	-11.48	-7.41	-6.74	0.05	शून्य
11	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.26	0.04	-0.76	-0.50	0.15	शून्य
12	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	47.07	-8.80	-84.93	-37.86	36.45	159.49
13	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	93.24	-5.65	-274.49	-181.25	93.24	151.08
14	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	2.00	-40.91	-206.41	-204.41	0.25	शून्य
15	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	179.28	17.38	-898.39	-719.11	114.51	345.94
योग			**146516.94**	**- 19712.78**	**- 131295.68**	**-77811.31**	**119988.30**	**1662.51**

स्रोतः एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

5.8 एसपीएसई की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाती है। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां जारी करने या परिपूर्ण करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियन्त्रित करने वाले विधियों के अनुसार उनके लेखों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए और एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.9 सीएजी द्वारा एसपीएसई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

एसपीएसई के लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की गई थी।

5.10 एसपीएसई द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.10.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा[50] (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है। ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक तारीख से अगली तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होगा। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कम्पनी के निदेशकों सहित जिम्मेदार व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक लम्बित थे, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में बताया गया है।

[50] पहली एजीएम के सन्दर्भ में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तिथि से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह अर्थात 30 सितम्बर के अन्दर होनी चाहिए।

5.10.2 एसपीएसई द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

31 मार्च 2023 को, सीएजी की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 107 एसपीएसइ[51] थे। इनमें से वर्ष 2022–23 के लिए परिसमापन के तहत 13 को छोड़कर 94 एसपीएसई के लेखे बकाया थे। हालाँकि, 30 सितम्बर 2023 तक केवल 10 एसपीएसई ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। 95 एसपीएसई के 1,028 लेखे बकाया थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में बताया गया है। एसपीएसई के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तलिका 5.12: लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		एसपीएसई	लेखों की संख्या
31.03.2023 को सी ए जी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में कुल कम्पनियों की संख्या		107	--
घटाया नयी कम्पनियां जिनका 2022–23 के लेखे देय नहीं थे		0	0
परिसमापन के अन्तर्गत 13 कम्पनियों के अलावा कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2022–23 के लिए देय थे		94	98[52]
30 सितम्बर 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों की संख्या		10	11[53]
31.03.2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में कुल कम्पनियों की संख्या		**95**	**1028**
बकाया का वर्गीकरण	(i) कार्यरत	56	305
	(ii) निष्क्रिय	28	603
	(iii) परिसमापन के अन्तर्गत	11[54]	120
कार्यरत वर्ग के अधीन बकाया का समयानुसार विश्लेषण	एक वर्ष (2022–23)	15	16
	दो वर्ष (2021–22 एवं 2022–23)	07	16
	तीन वर्ष एवं अधिक	34	273

5.10.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

सीएजी द्वारा छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की जाती है एवं उनमे से चार सांविधिक निगमों[55] का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। 30 सितम्बर 2023 से पूर्व किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2022–23 के लेखे प्रस्तुत नहीं किया है। 30 सितम्बर 2023 को छः सांविधिक निगमों के 19 लेखे लम्बित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में वर्णित है ।

[51] प्रस्तर 5.10.3 में वर्णित छः सांविधिक निगमों के अलावा।

[52] वर्ष 2022–23 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण।

[53] वर्ष 2022–23 के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण।

[54] दो एसपीएसई उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश (रोहिलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड ने परिसमापन की प्रक्रिया में जाने तक नवीनतम लेखे जमा किये है।

[55] उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम।

5.11 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी–लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.11.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारुप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति परिवर्तित नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[56] के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित हैं। सांविधिक निगमों को उनके नियमों के अन्तर्गत से सीएजी के परामर्श पर बताए गए निर्धारित प्रारुप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से सम्बन्धित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में, लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.11.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जाती है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निगरानी भूमिका निभाते है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। यह कार्य प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निष्पादित किया जाता हैः

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन को परिपूर्ण या टिप्पणी करना।

5.11.3 सरकारी कम्पनियों के लेखो की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक संस्था के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के मानक लेखा परीक्षा प्रथाओं और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना आपेक्षित है।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ–साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, कम्पनी अधिनियम,

[56] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

2013 की धारा 143 (6) के तहत एजीएम में प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदित किया जाता हैं।

5.12 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम

5.12.1 एसपीएसई लेखों की लेखापरीक्षा

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 तक 47 एसपीएसई से वर्ष 2022–23[57] और पिछले वर्षों[58] के लिए 66 वित्तीय विवरण[59] प्राप्त हुए थे। सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में 49 एसपीएसई के 75 वित्तीय विवरणों[60] की समीक्षा की गई और छः एसपीएसई के 13 लेखों पर गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया।

5.12.2 वित्तीय विवरण में संशोधन

2022–23 के दौरान, एजीएम में रखने से पहले एसपीएसई द्वारा अपने वित्तीय विवरण में संशोधन करने का कोई मामला नहीं है।

5.12.3 लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

2022–23 के दौरान, सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन में एक प्रतिवेदन पुनर्लेखन का मामला है।

5.13 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से तैयार की जा रही है और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जा रही है। लोक लेखा समिति को अभी भी इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करना है।

5.14 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 को, छः सांविधिक निगमों सहित 113 एसपीएसई थे। 107 एसपीएसई में से, 41 निष्क्रिय एसपीएसई (परिसमापन के अन्तर्गत 13 एसपीएसई सहित) हैं। एसपीएसई ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा का पालन नहीं किया। 101 एसपीएसई के 1,047 लेखे बकाया थे।

नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 39 एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 2,169.50 करोड़ के कुल लाभ में से, ₹ 1,933.80 करोड़ (89.14 प्रतिशत) के लाभ का योगदान छः एसपीएसई द्वारा किया गया था। इसके अलावा 34 एसपीएसई में ₹ 1,95,724.15 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इनमें से 24 एसपीएसई को ₹ 32,427.27 करोड़ का हानि हुई। संचित घाटे के कारण 15 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।

---

[57] 10 एसपीएसई से वर्ष 2022–23 के लिए 11 वित्तीय विवरण (एक सीएफएस सहित) प्राप्त हुए।

[58] प्राप्त 55 वित्तीय विवरण वर्ष 2021–22 और उससे पहले के थे ।

[59] वर्ष 2022–23 के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण भी शामिल है।

[60] जिसमें विभिन्न एसपीएसई के चार सीएफएस शामिल हैं।

5.15 *संस्तुतियाँ*

18. *प्रशासनिक विभागों को एसपीएसई के लेखों के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना चाहिए और एसपीएसई के लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।*

19. *राज्य सरकार उन निष्क्रिय एसपीएसई की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है और निष्क्रिय एसपीएसई के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नीतिगत निर्णय ले सकती है।*

20. *राज्य सरकार उन एसपीएसई में घाटे के कारण का विश्लेषण कर सकती है जिनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई है और इन एसपीएसई के संचालन को जारी रखने के बारे में निर्णय ले सकती है।*

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनाँक 21 जून 2024

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनाँक 27 JUN 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक